

जारी है। पत्रावली दि० 25.2.20 का पत्र है।

भविष्यतः संख्या

रा.प्र.प.र. 57/17

अपर कमिश्नर, नागौर

25.2.20

देवनाथ उपाधी की मूल

इपील विस्तृत विवेचन के साथ

खारिज की जा चुकी है, कि अनुगत

उत्पन्न प्रा. प्र. भी खारिज किया

जाता है। पत्रावली में मूल शुभल

है। कच के कच होकर

हाजिर दफ्तार है।

अपर कमिश्नर, नागौर

अपर कमिश्नर, नागौर

